[राज्य सभा में 16 मार्च, 2016 को पारित रूप में]

2016 का विधेयक संख्यांक 17-सी

[दि सिख गुरुद्वारा (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2016

सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(*2*) यह 8 अक्तूबर, 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 49 का संशोधन।

1925 का पंजाब अधिनियम 8

2. सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 49 के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु ऐसे किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जो—

(क) अपनी दाड़ी या केशों को कतरता या मूंडता है;

(ख) घूम्रपान करता है; और

(ग) अल्कोहाली पेयों का सेवन करता है।''।

धारा 92 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 92 के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु ऐसे किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जो—

(क) अपनी दाड़ी या केशों को कतरता या मूंडता है;

(ख) धूम्रपान करता है; और

(ग) अल्कोहाली पेयों का सेवन करता है।''।

GMGIPMRND—5243RS—16-03-2016.